



बिहार विधान परिषद

(204 मॉनसून सत्र)

13 जुलाई 2023

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 40

कार्रवाई करने का विचार

*67 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए दस्तावेज के नहीं होने के कारण सात जिला पदाधिकारियों ने 8969 ट्रैक्टर ट्रेलर को मनमाने तरीके से कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किया, जिससे राज्य सरकार को 2522 लाख करोड़ के राजस्व का भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के निबंधन में मनमानी करने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है ताकि किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ?

ढुस उडरर करने कर वरकर

*68 श्री कुडर नरनेनुदुर (स्थरनीड डुररधरकर, कुररनरडरड, डररर रवं अरवल):

कुरर डुररुतुरी, कुरल संसरधन वरडरग, डरड डतलरने की कुरडर कररंगे कुर:-

(क) कुरर डरड सही है कुर सरकर की डुरकनर 'हर खेत तक डरनी' डरुंकुरने की है;

(ख) कुरर डरड सही है कुर सरकर 'हर खेत तक डरनी' डरुंकुरने के लरए डगध डुरडंडल डें सुन नदी कु डुररहर नदी से कुडकर नदरडुं के डरनी कु ही खेतुं तक डरुंकुरने के लरए कुई वरशेष डुरकनर डनरने कर वरकर रखती है तरकुर डुरररंग कररने से सरकर डक सुके और इलरके कर कुरल सुतर डी डरकररर रहे;

(ग) डदर डडरुडकुत खंडुं के उतुतर सुवीकरररतुडक हैं, तु कुरर सरकर इस डुरकनर की सडलतर हेतु कुई ठुस उडरर कर रही है ?

कुरडुडेदरर डदरधरकरररडुं डर कररुवरई कडतक

*69 श्री डरुशुवर सुंध (डुरुवी कडुडररण स्थरनीड डुररधरकर):

कुरर डुररुतुरी, वरतुत वरडरग वरडरग, डरड डतलरने की कुरडर कररंगे कुर:-

(क) कुरर डरड सही है कुर सी.ए.कुरी. की 2021-2022 की ररडुुुत डें 25 हररर 9 सुु 22 ए.सी. वरडतुर डकररर रहने डर कुररतर कुरतररु डरई है;

(ख) कुरर डरड सही है कुर इस ररडुुुत डें उडडुुुगतर डुरडरण-डतुर उडलडुध कररने कु डरुत डुडुररतर से लररर डरर है;

(ग) कुरर डरड सही है कुर ररकुर सरकर ने डुरुव डें उडडुुुगतर डुरडरण-डतुर सडड डर डुरसुतुत कररने कर आदेश सडी वरडरगुं कु दररर थर;

(घ) डदर डडरुडकुत खंडुं के उतुतर सुवीकरररतुडक हैं, तु इसके लरए डुरखुड रुरड से कुन-कुन डदरधरकररी कुरडुडेदरर हैं तरथर डरवरषुड डें ऐसर न हु सुके इसके लरए सरकर कुरर कदड उठरडेगी ?

ररकुरीड कलुडरण कुरतररररर कर नररुण कडतक

*70 श्री ररधरकररण सरड (स्थरनीड डुररधरकर, डुुकडुर रवं डकुसर):

कुरर डुररुतुरी, अनुसुुुकरत कुररतुत रवं कुरनकुररतुत कलुडरण वरडरग, डरड डतलरने की कुरडर कररंगे कुर:-

(क) कुरर डरड सही है कुर ररकुर के वैसे डुरखंडुं, कुरनडें अनुसुुुकरत कुररतुत की आडरदी 30 हररर से अधरक है, डें ररकुरीड कलुडरण कुरतररररर कर नररुण कररने की डुरकनर है;

(ख) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत आरा, जगदीशपुर, कोईलवर, पीरो, शाहपुर तथा तरारी प्रखंड में अभी तक राजकीय कल्याण छात्रावास का निर्माण नहीं हो पाया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला उक्त छः प्रखंडों में राजकीय कल्याण छात्रावास का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सामुदायिक भवन सह-वर्क शेड का निर्माण कबतक

*71 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों के महादलित टोला में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण कराने हेतु मिशन निदेशक, महादलित विकास मिशन, पटना ने अपने पत्रांक- 1084-01/22-440, दिनांक:- 09/02/2023 एवं 1084-01/22-494, दिनांक:- 14/02/2023 के माध्यम से जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-जिला अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी को भूमि उपलब्ध होने की जांच कर प्रस्ताव भेजने के लिए पत्रचार किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पत्र के आलोक में अभी तक जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-जिला अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा भूमि चयन कर मुख्यालय को नहीं भेजा गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित जिला के विभिन्न प्रखंडों में भूमि उपलब्ध करा कर महादलित टोलों में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उप वितरणी नहर पूर्णरूपेण बंद

*72 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाली सभी उप वितरणी नहर पूर्णरूपेण बंद है;

(ख) क्या यह सही है कि सुपौल जिले में कृषि भूमि की सिंचाई व पटवन के लिए उप वितरणी नहर प्रमुख साधन है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े उप

वितरणी नहरों को चालू करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कबतक

*73 मो. फारुक (विधान सभा):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बागमती पुरानी धार (बेलवा-मीणापुर लिंक चैनल) का डी.पी.आर. स्वीकृति की प्रत्याशा में महीनों से विभाग में लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार असैनिक कार्य समाप्ति की तिथि 30.08.2021 तथा यांत्रिक कार्य समाप्ति की तिथि 05.05.2023 थी परंतु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निर्माणाधीन डैम्प का कार्य पूर्ण कबतक कराने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

बांध का सुदृढीकरण

*74 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरियाबरियारपुर प्रखंड में ग्राम पंचायत बसही बूढ़ी गडक तटबंध किनारे अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 के 02 अगस्त को आई बाढ़ में बांध टूट जाने के कारण हजारों की आबादी प्रभावित हुई थी;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 के 02 अगस्त को आई बाढ़ में बांध टूट जाने के बाद आज तक उक्त बांध के सुदृढीकरण के लिए विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चेरियाबरियारपुर प्रखंड की ग्राम पंचायत बसही में वर्ष 2007 जैसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए बांध के सुदृढीकरण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बैंक की शाखा कबतक

*75 श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक

की शाखा नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि राघोपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा खुली थी जोकि कच्ची दरगाह में चली गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि राघोपुर में किसी भी बैंक का एक भी ए.टी.एम. नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि राघोपुर में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ए.टी.एम. नहीं होने से वहां के जनमानस को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राघोपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा एवं ए.टी.एम. खुलवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मकान किराया भत्ता भुगतान

*76 श्री संजय पासवान (विधान सभा):

क्या मंत्री, वित्त विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा सचिवालय/निदेशालय के संलग्न कार्यालय में पदस्थापित कई कर्मचारी/पदाधिकारी सचिवालय अथवा अन्य मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मकान किराया भत्ता नियमावली 1080 के नियम 4 में प्रावधानित है कि सरकारी सेवकों को कार्यस्थल के शहर के अनुरूप मकान किराया भत्ता देय है;

(ग) क्या यह सही है कि लगातार छः माह या अधिक दिनों से मूल पदस्थापित स्थान से इतर पटना या अन्य शहरों में प्रतिनियुक्त होकर कार्यरत कर्मी, जिनका वेतनादि भुगतान मूल पदस्थापन कार्यालय से होता है, उपरोक्त प्रावधान से अच्छादित है और उन्हें भी प्रतिनियुक्ति स्थल/कार्य निष्पादित करने हेतु आवासित होने वाले शहर के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता देय है;

(घ) क्या यह सही है कि चकबंदी निदेशालय द्वारा उक्त प्रावधान के आलोक में क्षेत्रीय कार्यालयों से निदेशालय अथवा राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्त कर्मी को योगदान की तिथि से पटना शहर के लिए अनुमान्य किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते की स्वीकृति पत्रांक:- 428 दिनांक:- 19.06.2020 द्वारा दी गई है। परंतु कई अन्य विभाग/कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी को यह सुविधा प्राप्त नहीं है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रावधान के संदर्भ में सभी जिला पदाधिकारियों, निदेशालयों एवं विभागीय कार्यालयों को पत्र लिखकर उनके कार्यालय से अन्यत्र प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्ति स्थल का

मकान किराया भत्ता भुगतान के लिए पृथक रूप से स्पष्ट निर्देश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उचित मुआवजा का भुगतान

***77 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण के वी.टी.आर. एवं इससे सटे हुए क्षेत्रों में बाघ द्वारा अनेक मनुष्य एवं पालतू जानवर यथा गाय, भैंस, बकरी आदि का आखेट कर उन्हें मार दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे मामलों में मुआवजा की व्यवस्था होने के बावजूद प्रभावित परिवारों को समय पर इसका लाभ नहीं मिल पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि मुआवजा निर्धारण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या बाघ द्वारा जंगली क्षेत्र के बाहर अथवा जंगली क्षेत्र के भीतर शिकार किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि यदि बाघ द्वारा जंगली क्षेत्र के बाहर शिकार कर मृत शरीर को घसीटकर जंगली क्षेत्र में ले जाया जाता है तो मृत शरीर प्राप्ति के बाद भी मुआवजा का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जंगल के भीतर या बाहर के परिसीमन को समाप्त कर बाघ द्वारा किए गए शिकार के बदले उचित मुआवजा भुगतान की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

उच्च स्तरीय जांच कबतक

***78 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक विभाग) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी को सामान्यतः एक स्थान पर अधिकतम तीन वर्षों तक पदस्थापन के बाद स्थानांतरण का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय नियमों की अवहेलना करते हुए मुख्य अभियंता

सिंचाई सृजन, गया परिक्षेत्र के अंतर्गत गया में अवस्थित मुख्यालय, अचल प्रमंडल एवं अवर प्रमंडल कार्यालयों में समूह 'क' एवं 'घ' के कर्मचारी विगत पंद्रह-बीस वर्षों से पदास्थापित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों के स्थानीय होने के कारण आम लोगों को नाहक परेशान किया जाता है तथा सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने की अनेक शिकायतें विभाग में प्राप्त होती हैं जिनपर कोई कार्रवाई अबतक नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों का कार्मिक विभाग के नियम का पालन करते हुए शीघ्र स्थानांतरण तथा उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने तथा विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

नहर की सफाई कबतक

*79 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा प्रखंड में मुरारचक राजवाहा बसडीहा चौसा नहर पार से पंडितपुर तक सफाई कार्य वर्षों में नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत दिनारा प्रखंड में बक्सर मुख्य नहर अंतर्गत साथ नहर में नटवार पुल से सैसड़ तक नहर सफाई का कार्य भी वर्षों से नहीं होने के कारण किसानों को पटवन में काफी परेशानी हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के हित को देखते हुए उक्त दोनों खंडों में वर्णित नहर की सफाई कबतक कराना चाहती है ?

बाढ़ की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास कबतक

*80 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिमा, अररिया स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि किशनगंज एवं अररिया जिला में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रकोप से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं एवं हजारों एकड़ में लगी हुई फसल बर्बाद हो जाती है तथा जाल-माल की भी क्षति होती है;

(ख) क्या यह सही है कि इन दोनों जिलों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है एवं लोगों को क्षति पहुंचाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन दोनों

जिलों में बाढ़ की रोकथाम हेतु विशेष प्रयास करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

निबंधन शुल्क में छूट देने का विचार

*81 श्री विजय कुमार सिंह (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गृह निर्माण से संबंधित सहकारी संस्थाओं को गृह निर्माण हेतु भूमि निबंधन करने में निबंधन शुल्क में छूट दी जाती थी;

(ख) क्या यह सही है कि आज के दिनों में सहकारी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निबंधन में कोई छूट नहीं दी जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व की भांति छूट जारी रखना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जाम की समस्या से निजात कबतक

*82 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत रिविलगंज मार्केट घनी आबादी का चौराहा है, जहां पर दिनभर सड़क जाम की समस्या रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि हाजीपुर से गाजीपुर राष्ट्रीय उच्च पथ प्रदेश के सारण, सीवान समेत उत्तर प्रदेश जाने का सीधा सम्पर्क मार्ग है, जिसपर दिनभर सड़क जाम की समस्या रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि सड़क जाम से निजात के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं की गई है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1 एवं 2) में वर्णित स्थान पर यातायात पुलिस प्रतिनियुक्त कर सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

*83 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि खूरी नदी नवादा शहर के बीच से होकर गुजरी है, जिसके

दोनों तरफ अतिक्रमण किये जाने से नदी संकीर्ण हो गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि दोनों तरफ नदी अतिक्रमण किये जाने से नदी का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि बंजर पड़ी हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि खूरी नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण मुक्त कर रोड का निर्माण किये जाने से हजारों एकड़ भूमि उपजाऊ हो जायेगी एवं जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में एवं जाम की समस्या के निजात के लिए नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण मुक्त कर रोड बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पुल का निर्माण कबतक

***84 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ प्रखंड के ग्राम-तेतरावां में राजपाल खंडा के पूरब मंझियायन पुल वर्षों पहले बाढ़ आने के कारण ध्वस्त हो गया है, जिससे आहर में पानी को रोकना मुश्किल हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि आहर में पानी जमा नहीं होने के कारण तेतरावां के ग्रामवासियों को खेतों के पटवन में संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थान पर आर.सी.सी. पुल (गेट सहित) का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

रजिस्ट्री की व्यवस्था कबतक

***85 श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पुनपुन प्रखंड की कुछ पंचायतों की जमीन सम्पत्तचक एवं कुछ पंचायतों की जमीन की फुलवारी शरीफ प्रखंड में रजिस्ट्री की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पुनपुन प्रखंड की सभी पंचायतों की जमीन की रजिस्ट्री पूर्व में अनुमंडल मुख्यालय मसौढ़ी में होती थी;

(ग) क्या यह सही है कि एक ही गांव के किसानों की जमीन यदि अलग-अलग

पंचायतों में हो तो जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अलग-अलग स्थान पर जाना पड़ेगा;

(घ) क्या यह सही है पुनपुन प्रखंड के लोगों को सम्पत्तक तथा फुलवारी शरीफ जाने के लिए कोई सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन से पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं है, एक ही प्रखंड को दो पार्ट में विभक्त कर जमीन रजिस्ट्री कराना व्यवहारिक एवं उचित नहीं है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुनपुन प्रखंड की जमीन की रजिस्ट्री पूर्व की तरह मसौदी अनुमंडल में ही की जा सकती है अथवा पुनपुन प्रखंड में अलग से रजिस्ट्री करने की व्यवस्था की जा सकती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

निर्माण करने का विचार कबतक

***86 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के गुरारु प्रखंड की कनौसी पंचायत के केरकी गांव के उत्तर साइड पूरब से पश्चिम एक पईन है, जो सिंचाई के उपयोग में आता है और उसी में आधे गांव की नाली का पानी निकलता है। पूर्व में यह पानी का एक तालाब था, जो गांव के पूरब दिशा में है, उसी में चला जाता था, और उसी तालाब के पानी से सिंचाई की जाती थी;

(ख) क्या यह सही है कि तालाब का जीर्णोद्धार लघु जल संसाधन के द्वारा कर दिया गया है, परंतु पईन की उड़ाही नहीं की गई है इस कारण आज के वर्तमान समय में वह पईन जलाशय बना हुआ है। उसी पईन के उत्तर दिशा से पईन को पार कर गांव में जाने का रास्ता है;

(ग) क्या यह सही है कि जलाशय की सफाई करा दी जाए और पईन पर रास्ता बना दिया जाए तो ग्रामीणों को आने -जाने की काफी सुविधा हो जाएगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पईन की सफाई कर लगभग 1000 फिट पक्का ढक्कन के साथ निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्नान घाट एवं रिवर फ्रंट बनाने का विचार कबतक

***87 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया धाम में NHA का 6 Lane का ब्रिज बन रहा है। ब्रिज के पूरब में केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना के तहत स्नान घाट और मोक्ष धाम घाट का निर्माण हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि 6 Lane ब्रिज और राजेन्द्र पुल के बीच 550 मीटर की दूरी में राज्य सरकार स्नान घाट का निर्माण कर रही है;

(ग) क्या यह सही है कि बहुत सारे संत महात्म के आश्रम राजेन्द्र पुल के पश्चिम में स्थित हैं और वहां के महत्वपूर्ण स्नान घाट राम घाट के नाम से स्थित हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजेन्द्र पुल के पूरब बचे हुए 550 मीटर की जगह पर स्नान घाट एवं रिवरफ्रन्ट बनाने का विचार रखती है ?

समायोजित करने का विचार

*88 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन को गति प्रदान करने के लिए ICDS निदेशालय द्वारा प्रखंड परियोजना सहायकों के पद को ज्ञापांक – 3978, दिनांक:- 10.08.2022 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पद को विलोपित करने से 425 प्रखंड परियोजना सहायक बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी परिस्थिति में उन्हें अन्य विभागों में समायोजन करने की मंशा रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

बांध एवं चेक डैम का निर्माण कबतक

*89 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखंड की 28 पंचायतें हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहती हैं, इसका मुख्य कारण कमला नदी एवं धौंस नदी के दोनों किनारों पर बांध एवं चेक डैम का नहीं होना है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित नदी के दोनों किनारों पर बांध का निर्माण कराने एवं चेक डैम का निर्माण कराने

का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

पुल का निर्माण

*90 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम प्रखंड की कसेरूआ पंचायत अंतर्गत जगजीवन कैनाल नहर खैरा ग्राम स्थित पुल जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुल दरीगांव, कुसुड़ी, मोरीकप, नींव, नाद, मूरी, बबुरा, धनपुरावा को जोड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण

*91 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मतेया खाद स्थित कितने आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि रामपुर भैंसही ग्राम पंचायत की जनसंख्या तीन हजार से अधिक में एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी भवनों में संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल का अभाव है तथा केन्द्रों पर बिजली एवं शौचालय तथा चहारदीवारी नहीं होने के कारण बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त वर्णित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल, बिजली, शौचालय का निर्माण कराने के साथ-साथ रामपुर भैंसही में एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए, जितने भी निजी भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

विधिसम्मत कार्रवाई

*92 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पाण जिलान्तर्गत प्रखंड- बगहा-1 एवं 2 तथा प्रखंड- भितहा, मधुबनी में पदस्थापित सी.डी.पी.ओ. द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालकों द्वारा मनमाने ढंग से अवैध वसूली किये जाने के कारण लाभुकों को उचित मात्रा में पोषाहार की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड की जांच कराकर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नगद भुगतान के संबंध में

***93 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाईसेंस एवं ड्राइविंग रिन्यूवल लाईसेंस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एवं नगद राशि के रूप में जमा किये जाने का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि डी.टी.ओ. कार्यालय, पटना के काउन्टर संख्या- 18 में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा शुल्क की राशि आवेदकों से नगद जमा करने पर जबरन साईबर कैफे में ऑनलाइन जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके कारण आवेदकों को बेवजह परेशान होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए शुल्क की राशि नगद के रूप में भी लेकर रसीद काटने का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मुआवजा की राशि का भुगतान

***94 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अंतर्गत परसा प्रखंड के ग्राम- शंकरडीह, ग्राम +पोस्ट परसा की सुंदरपतिया देवी, पति- श्री उजागर पंडित दिनांक:- 17.04.2022 को घर से रोड पार करने के क्रम में अज्ञात वाहन द्वारा भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थीं;

(ख) क्या यह सही है कि सुंदरपतिया देवी की दुर्घटना के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसा में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जिनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल हाजीपुर को रेफर कर दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि सुंदरपतिया देवी की मृत्यु इजाल के क्रम में सदर अस्पताल, हाजीपुर में दिनांक:- 17.04.2022 को ही दी गई, जिससे संबंधित जिला पदाधिकारी, सारण को सारे कागजात के साथ मुआवजा हेतु आवेदन दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि मृत्यु के पश्चात् परसा में थाना कांड 97/2022, दिनांक:- 22 अप्रैल 2022 को एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक के पति को मुआवजा की राशि कबतक देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

अनुदान की राशि कबतक

***95 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अंतर्जातीय विवाह करने के पश्चात् वर-वधु के जीविकोपार्जन के लिए 1,20,000/- रुपये प्रोत्साहन अनुदान की राशि लड़की के बैंक खाते में पांच वर्ष के लिए सरकार द्वारा जमा किए जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक:- 10.11.2020 को श्रीमती वर्षा कुमारी, पिता- श्री परमाणु कुमार, ग्राम+पो.- तेलहारा, प्रखंड- एकंगरसराय, जिला- नालन्दा की शादी श्री राहुल आर्यन, पिता- श्री सीताराम ठाकुर, मोहल्ला- डी.एन. सिंह लेन, मीठापुर, 'बी' ऐरिया, जी.पी.ओ. जिला- पटना के साथ अंतर्जातीय कोर्ट में शादी हुई है, जिसका सर्टिफिकेट नं.- 572/2020 है;

(ग) क्या यह सही है कि शादी के पश्चात् सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह में देय सुविधा के लिए खंड 'ख' में वर्णित आवेदक द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना को दिनांक:- 11.12.2021 को आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच-पड़ताल भी कर ली गई है, परंतु आज तक सरकार द्वारा प्रावधानित प्रोत्साहन अनुदान की राशि का आवंटन नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती वर्षा कुमारी के खाते में प्रोत्साहन अनुदान की राशि आवंटित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बिक्री की व्यवस्था

***96 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गैर न्यायिक मुद्रांकों की छपाई को व्यादेश

बंद करने और सभी जिला कोषागारों को मुद्रांकों की आपूर्ति नहीं किये जाने से लगभग हजारों की संख्या में मुद्रांक विक्रेता आज बेरोजगारी एवं भुखमरी के कगार पर खड़े हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मुद्रांक विक्रेताओं की बेरोजगारी के कारण उनके परिवार के भरण-पोषण के लाले पड़ गए हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुद्रांक विक्रेताओं के लिए बिक्री सीमा तक मुद्रित स्टांपों की बिक्री की व्यवस्था एवं मुद्रांकों की छपाई का व्यादेश सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई कबतक

*97 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आठ करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद परिवहन विभाग को दिसम्बर, 2015/ जनवरी, 2016 में धर्मकांटा सुपुर्द करने के बावजूद उसे 2019 तक कार्यशील नहीं किया जा सका;

(ख) क्या यह सही है कि जिन पदाधिकारियों का पदस्थापन मूल रूप से धर्मकांटा स्थल के लिए हुआ था, किंतु उनकी तैनाती राज्य परिवहन निगम/जिला परिवहन कार्यालय, पटना में किया गया था, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के रूप में 75 करोड़ 98 लाख का व्यय किया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सी.ए.जी. के प्रतिवेदन (वर्ष 2021) में पाए गए 75 करोड़ 98 लाख रुपयों की बर्बादी के लिए कौन-कौन पदाधिकारी जिम्मेदार हैं और उनसे राशि की वसूली की गई थी या नहीं तथा भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार क्या सावधानी बरतना चाहती है ?

जलजमाव से मुक्ति

*98 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलाअंतर्गत बखरी, नावकोठी, गढ़पुरा, छौड़ाही तथा खोदावंदपुर प्रखंड से बरसात के बाद भी हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलजमाव के कारण खराब हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंडों में जलजमाव के कारण महीनों तक खेती कर पाना संभव नहीं होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों को बरसात के बाद होने वाले जलजमाव से मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सी.सी.टीवी लगाने की समय सीमा कबतक

*99 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जांच और पूछताछ की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा हिरासत में लिये गए आरोपियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी जांच एजेंसियों एवं थानों में 18 जुलाई 2023 तक सी.सी.टीवी लगाये जाने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में की जा रही कार्रवाई से सदन को अवगत कराना चाहती है ?

स्थानांतरण कबतक

*100 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अररिया के वर्तमान जिला योजना पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा से हैं तथा विगत 5 वर्षों से अररिया में ही प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि एक पदाधिकारी का 5 वर्षों से लगातार एक ही स्थान पर प्रभार में पदस्थापन सरकारी नियम के विरुद्ध है, जबकि इस विभाग में कई डी.पी.ओ. पदस्थापन की प्रतीक्षा में पदस्थापन हेतु बैठे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी अररिया का स्थानांतरण करते हुए किसी दूसरे डी.पी.ओ. का पदस्थापना करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

चेकडैम का निर्माण कबतक

*101 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भभुआ जिला अंतर्गत प्रखंड रामपुर ग्राम-खजुरा रामपुर-

राजवाहा खजुरा तक नहर काफी जर्जर हो चुकी है जिससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि भुआ जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के खजुरा गांव के पास कर्मा वितरणी के चेकडैम का निर्माण कार्य नहीं कराने से भी किसानों को पटवन में काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड 'क' में वर्णित नहर की सफाई एवं खंड 'ख' में वर्णित चेकडैम का निर्माण सरकार कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने का विचार

***102 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में ताड़ी को शराब की श्रेणी देकर ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि ताड़ी शराब नहीं बल्कि प्राकृतिक जूस है, इसे शराब की श्रेणी से हटाया जा सकता है;

(ग) क्या यह सही है कि पासी समाज के लोगों का पुश्तैनी धंधा ही ताड़ी उतारना और बेचना था;

(घ) क्या यह सही है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये बगैर ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने से पासी समाज में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पासी समाज के हित में ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पुलिया निर्माण हेतु आदेश कबतक

***103 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिया, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत एन.एच. 31 से दुर्गास्थान होते हुए अमीरपुर हरदास (संभाली टोला) गांव जाने हेतु ग्रामीणों द्वारा नहर पर बांस की चचरी बनाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि करीब डेढ़ किलोमीटर दूर दासटोला के नजदीक नहर पर

पुलिया निर्माण होने के कारण अमीरपुर हरदास गांव के नजदीक नहर पर पुलिया निर्माण हेतु कठिनाई प्रकट की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि चचरी पर से टेम्पो, मोटरसाइकिल आदि वाहन पार करने में जान जोखिम में बना रहता है और पुलिया नहीं होने के कारण स्थानीय जनता को बहुत कठिनाई होती है;

(घ) क्या यह सही है कि अमीरपुर हरदास गांव में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं मुस्लिमों की आबादी है, जिनमें से अधिकांशतः की जीविका कृषि पर आधारित है और ग्रामीणों द्वारा पुलिया की मांग वर्षों से की जा रही है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशेष परिस्थिति में अमीरपुर हरदास गांव के निकट नहर पर पुलिया निर्माण हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

राशि की समीक्षा कबतक

*104 श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):

क्या मंत्री, वित्त विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) वित्त वर्ष 2022-2023 के पूंजीगत कार्यों के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया था;

(ख) पूंजीगत कार्यों के लिए आवंटन राशि में से कितनी राशि का व्यय किया जा सका है;

(ग) पूंजीगत आवंटन राशि में से सबसे अधिक राशि किस विभाग ने व्यय की है और कितनी राशि व्यय हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि पूंजीगत आवंटित राशि में से सबसे कम राशि किस विभाग ने व्यय की है और कितनी राशि व्यय हुई है ? इस कम व्यय हुई राशि की समीक्षा की गई है ?

बांध बनाने एवं सड़क का जीर्णोद्धार

*105 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर पंचायत- राज विशनपुर के ग्राम- पकड़ी में धौंस नदी के कटाव के कारण करीब 100 परिवारों का मकान व रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण आने वाले समय में बारिश के समय कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है, यही हाल पिछले 10 वर्षों से बनी हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत-राज विशनपुर के त्रिभुदन ग्राम SH-75 से विशनपुर ग्राम को जोड़ने वाली सड़क पिछले 25 वर्षों से अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण ग्रामीणों एवं वाहनों को आवगमन में परेशानी हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थान पर बांध बनवाने और खंड 'ख' में वर्णित सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*106 डा. कुमुद वर्मा (विधान सभा):

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रंजित कुमार, पिता- श्री शैलेन्द्र ठाकुर, ग्राम- सरथा, थाना- हरनौत, जिला- नालन्दा के रहने वाले दिनांक:- 21.04.2022 को बेली रोड स्थित नहर पर भयंकर दुर्घटना की चपेट में आ गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक:- 30.04.2022 को इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु पटना के अस्पताल में हो गयी थी;

(ग) क्या यह सही है कि स्व. रंजित कुमार के पिता द्वारा सारे कागजातों को संलग्न करते हुए मुआवजा हेतु आवेदन पूर्व में दिया गया है, श्री मिथिलेश कुमार सिंह, प्रभारी अवर निरीक्षक, यातायात थाना, सगुना मोड़ द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, बिस्कोमान भवन, पटना को मुआवजा देने हेतु अनुशंसा भी की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि आश्रित के परिवार मुआवजा हेतु सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व. रंजित कुमार के आश्रित परिवार को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि यथाशीघ्र भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?
